राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

आबकारी अपील संख्या – 2/2014/जयपुर

मैसर्स क्राफ्टस पैलेस होटल्स (इण्डिया) प्रा.लि.,
यूनिट–हॉलीडे इन्न, प्लॉट नं.–1, गोलीमार गार्डन
स्कीम, आमेर रोड, जयपुर। ......अपीलार्थी.

बनाम

1.आबकारी आयुक्त, उदयपुर ।
2.जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर। ....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री अमर सिंह, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अन्नत कासलीवाल,
अभिभाषक।
श्री राजेन्द्र कुमार, निरीक्षक। ....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन.के.बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 25.06.2014

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त आबकारी राजस्थान, उदयपुर के प्रकरण क्रमांक प.32(बी)(51)आब/एल/94/788 में राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 25.10.2013 के विरूद्ध अधिनियम की धारा 9(क) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसमें अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना कर, रिफण्ड राशि ₹5,00,000/– जारी करने संबंधी आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है ।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 9ए (समय–समय पर यथा संशोधित) के अन्तर्गत राजस्थान कर बोर्ड को आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध अपील एवं निगरानी सुनने के अधिकारिता है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आदेश, जिसके विरूद्ध हमारे समक्ष अपील पेश की गयी है, अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी, उदयपुर द्वारा पारित किया गया है। अतः इस आदेश के विरूद्ध अपील कर बोर्ड के समक्ष श्रवण योग्य नहीं है।

अधिनियम की धारा 9ए की उपधारा (1)(बी) (समय–समय पर यथा संशोधित) के अन्तर्गत कर बोर्ड द्वारा आबकारी आयुक्त द्वारा ही अधिनियम के अन्तर्गत पारित किसी आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील की ही सुनवायी की जा सकती है। अधिनियम की धारा 3(5) के अन्तर्गत परिभाषित आबकारी आयुक्त में अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी को शामिल नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील कर बोर्ड द्वारा प्रथम दृष्टया श्रवण योग्य नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(अमर सिंह) 25-6-14
सदस्य

25.6.2014
(मदन लाल)
सदस्य